classmate
Date
Page

DATE: 13/10/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POL. SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 10 (GOVERNOR)
LECTURE NO.- 09

By:
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

भारत में एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को अपनाने की वजहें—

(i) भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन व्यवस्था एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। चूँकि संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का मात्र वैधानिक या केवल औपचारिक प्रधान होता है जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। इसीलिए हो सकता है कि निर्वाचित राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान के स्थान पर वास्तविक प्रधान न बन जाय और दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति न उत्पन्न हो जाय, क्योंकि मंत्रिपरिषद भी जनता का प्रतिनिधि होता है। इन्हीं वजह से राज्यपालों का मनोनयन कर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है।

(ii) देश के विभाजन और उससे कारण से उत्पन्न विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के देखते संविधान निर्माताओं ने देश की स्वतंत्रता, और अखंडता की रक्षा हेतु राज्यों की अपेक्षा संघ को शक्तिशाली बनाने पर विचार किया।

Scanned with CamScanner

(iii) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में कार्यकर्ता संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, जबकि संविधान निर्माता यह चाहते थे कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल संघ के प्रतिनिधि अथवा एजेंट के रूप में कार्य करें, अतः समस्त स्थिति-परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई न कि निर्वाचन की।

(iv) राज्यपाल की राज्य की राजनीतिक स्थिति में भूमिका एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अध्यक्ष तथा निर्णायक की होती है यदि राज्यपाल को जनता अथवा विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था की जाती है तो संभवतः राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होता और इस बात की बहुत अधिक आशंका थी कि राज्यपाल स्वयं भी दलबंदी और गुटबंदी का शिकार हो जाता। अतः एक निर्वाचित राज्यपाल की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल की व्यवस्था को अपनाया जाना, संविधान निर्माताओं द्वारा उठाया गया एक सही, उचित एवं महत्वपूर्ण कदम रहा क्योंकि इससे राज्यपाल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ निर्णायक की भूमिका का निर्वहन अधिक कुशलतापूर्वक कर सकता है।

इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बंध में कनाडा के संविधान का अनुसरण किया गया है जहाँ राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर-जनरल के द्वारा होती है। अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर ने इस

Scanned with CamScanner

प्रसंग में संविधान सभा में कहा था कि "समरूपता की प्राप्ति के लिए, अच्छे कार्य संचालन के लिए, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच स्वस्थ सम्बंधों की स्थापना के लिए यही अच्छा है कि हम कनाडा के संविधान के अनुरूप ही व्यवस्था करें।"

आलोचना :—

राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति की दो आधारों पर आलोचना की जाती है—

(i) संविधान के अन्तर्गत जिस समय यह व्यवस्था की गयी थी, उस समय यह सोचा गया था कि राज्यपाल प्रमुख रूप से राज्य के संवैधानिक प्रधान और गौण रूप से राज्य में संघीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, किन्तु व्यवहार में राज्यपाल ने संघीय सरकार के अभिकर्ता (Agent) के रूप में ही अधिक कार्य किया है। 1959 से अभी तक कई राज्यों के राज्यपालों के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों एवं उनके आचरण से उपर्युक्त बातों की पुष्टि होती है।

(ii) जब केन्द्र और राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होंगी, उस समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 1967 से अभी तक अनेक राज्यों में ऐसी स्थिति देखी गई। कई बार तो दोनों के बीच संघर्ष की सारी हदें पार हो गई हैं जैसे - 1997-98 में बिहार के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच का संघर्ष।

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

सम्भावित प्रश्न :

(i) भारत में एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को अपनाए जाने की करणों का उल्लेख कीजिए।

(ii) भारतीय राज्यपाल की नियुक्ति पद्धति की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कीजिए।

नोट: संघ लोकसेवा एवं राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी।

Scanned with CamScanner